दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(69)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,कैम्प,भोपाल

PBR/ निगरानी/ रायसेन/ भू.रा/2017/ 7918

प्रकरण क्रमांक

(18)

अभिभाषक श्री. शिवानी गौर
द्वारा आज दिनांक 7/11/17
को पेश।

१- भगवतसिंह आ० श्री मूलचंद उम्र लगभग ६६ वर्ष
जाति किरार,

२- भवनसिंह उर्फ भवानी आ० श्री भगवतसिंह
उम्र लगभग ३८ वर्ष, दोनों निवासीगण
ग्राम पैंडा बम्होरी तहसील बरेली जिला
रायसेन (म०प्र०) - - - - - - - - निगरानीकर्त्तागण

विरुद्ध

१- आधारसिंह आ० श्री मूलचंद उम्र लगभग ६१
वर्ष निवासी ग्राम पंडा बम्होरी तहसील
बरेली जिला रायसेन,

२- श्रीमति शांतिबाई पत्नी श्री दर्शनसिंह निवासी
ग्राम मांगरोल तहसील बरेली जिला रायसेन,

३- श्रीमति गिरिजाबाई पत्नी श्री मकरनसिंह
निवासी ग्राम हीरापाड़ा ~~तहसील~~ मुरलीधर
तहसील बरेली जिला रायसेन,

४- श्रीमति सावित्रीबाई पत्नी श्री मदनसिंह
निवासी ग्राम बाग पिपरिया तहसील
बरेली जिला रायसेन ------- --- गैरनिगरानीकर्त्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता, १९५९

महोदय,

माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील बरेली जिला रायसेन द्वारा प्रकरण क्रमांक ३६/अपील/१६-१७ में पारित आदेश दिनांक १०-१०-२०१७ पक्षकार आधारसिंह विरुद्ध भगवतसिंह व अन्य में पारित आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी समयावधि में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

---०००---

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :-

१- यह कि ग्राम पंडा बम्होरी प० ह० नं- ४८, तहसील बरेली जिला

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भूरा/17/4918

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-18	आवेदक अधिवक्ता द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बरेली जिला रायसेन के प्रकरण क्रमांक 36/अपील/2016-17 में पारित अंतरिम आदेश दि.10-10-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क मुख्य रूप से यह कहा गया कि तहसील न्यायालय में अनावेदक के द्वारा संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन से स्वत: प्रमाणित हो जाता है कि अनावेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी दिनांक 16-9-13 को हो चुकी थी ऐसी स्थिति में अनावेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील जानबूझकर विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के समय सीमा में मान्य करने में त्रुटि की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । 4- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति के नामान्तरण में सभी पक्षों को नहीं सुना गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में 2003 आरएन 198 जिला सहकारी केंन्द्रीय बैंक लि0तथा एक अन्य विरूद्ध हिम्मतप्रसाद में इस आशय का निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है :- "परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा-5-विलम्ब की माफी के लिये आवेदन-उदारतापूर्वक विचार करना चाहिये-विलम्ब का पर्याप्त कारण दर्शाया-विलम्ब माफ किया गया ।" अत: उपरोक्त प्रकाश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । 5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित अंतरिम आदेश दि.10-10-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	